International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 4, April 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

अजमेर मेरवाड़ा के राजस्व बंदोबस्त की प्रशासनिक व्यवस्था (1818–1842 ई)

शोधार्थी –मुकेश खलदानियां
महर्षि दयानन्द सरस्वती
विश्वविद्यालय अजमेर

शोध सारांश –

अजमेर मेरवाड़ा की ऐतिहासिकता व अन्य पहलुओं के अपेक्षाकृत भू–प्रबन्ध एवं राजस्व प्रशासन से संबन्धित शोध कार्य कम हुआ है। 1818 में सिन्धिया द्वारा अजमेर को ईस्ट इण्डिया कम्पनी को सौंपे जाने के साथ ही अजमेर–मेरवाड़ा के क्षेत्र को कमीश्नरी प्रान्त बनाकर ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने प्रत्यक्ष शासन शुरू किया। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासनकाल के दौरान 1818–1842 तक अजमेर–मेरवाड़ा क्षेत्र में नये–नये कमिश्नर नियुक्त किए गए थे। इन सभी ने अपने–अपने अनुभवों के आधार पर खालसा और गैर खालसा भूमि से राजस्व एकत्रित करने हेतु कभी किसानों के साथ तो कभी इस्तमरारों, जागीरदारों आदि के साथ अलग–अलग राजस्व दरो को लागु करते हुए बंदोबस्त लागु किए गए थे। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के प्रशासन ने अधिकाधिक राजस्व एकत्रित करने हेतु सिंचित भूमि जैसे – चाही,तालाबी एवं असिंचित भूमि जैसे– आबी, बारानी इत्यादि को अलग–अलग उपमण्डलों में विभाजित करते हुए अलग–अलग राजस्व दरे लागु की गई। अतः इस शोध में ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र की राजस्व दरो और राजस्व प्रशासन में बार–बार होने वाले परिवर्तनों को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है।

Key word -

राजस्व बंदोबस्त, अधीक्षक, इस्तमरार, जागीर, राजस्व प्रशासन, अजमेर–मेरवाड़ा, उपज, खम, मोजवाड़ी व्यवस्था, काश्तकार, तटबन्ध, मूल्यांकन, एकड़, भुगतान।

भूमिका

अजमेर मेरवाड़ा का इतिहास भी काफी पुराना रहा है परन्तु 13 वी और 14 वी सदी का राजस्व इतिहास के बारे में बहुत कम जानकारी प्राप्त होती है। इनके बाद की जानकारी अबुल फजल की आइन–ए–अकबरी में प्राप्त होती है। अकबर ने अजमेर के महत्व को देखते हुए जयपुर के साथ–साथ अजमेर को भी सूबा बनाया था। अजमेर सूबे के अन्तर्गत जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और सिरोही भी आते थे यहां का कुल राजस्व 7210038 रूपये था जिसमें से अजमेर का राजस्व 3109169 रूपये था। इस समय राजस्व की दर उपज की 1/3 थी। हालांकि सामान्यतया कास्तकारो की सुविधा को देखते हुए नकद भुगतान के सिद्धान्त को लागू किया गया था। लेकिन इसे कई तरह से विभिन्न परिस्थितियों के अधीन बनाया गया था राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारी आमिल को आदेश दिये गये थे कि न केवल नकद भुगतान प्राप्त करे बल्कि उपज के रूप में भी राजस्व को स्वीकार करें। सरकार को दिये जाने वाले राजस्व की मुख्य विशेषता यह थी कि यह हजारो में होने के साथ ही उस निर्धारित राशि का प्रतिनिधित्व करता है जो ताज के अधीन उस राज्य को चुकाने का दायित्व होता था। यह प्रणाली अजमेर के कुछ महाल को छोड़कर जब्ती प्रणाली के संकेत नहीं देती है।

मराठाओं ने अपने शासन काल के दौरान कभी भी अजमेर जिले से 376740 रूपये से अधिक राजस्व इक्कठा नहीं कर पाये। इसमें भी 31000 रूपये तो सीमा शुल्क था शेष राशि 345740 भूमि राजस्व था जिसमे से 216762 रूपये इस्तमरारी गांवों से तथा 128978 रूपये खालसा गावों से प्राप्त होता था मराठे सीमा शुल्क को भूराजस्व के अधीन एकदम सही बताते थे क्योंकि यह विभिन्न उपकरो के अन्तर्गत आता है।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 4, April 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

मराठाओं के एक फ्रांसिसी अधिकारी पिरोन को पहली बार इनके क्षेत्र का बन्दोबस्त करने के लिए जाना जाता है। अंग्रेजी शासन के तहत अजमेर की इस्तमरारी जागीरो का प्रशासन एक निश्चित मूल्याकिंत राजस्व एकत्र करने तक सीमित था इस समय ठाकुरो और जागीरदारो को अपने स्वयं के जागीरो के मामलो की देखरेख के लिए मुक्तहस्त रखा जा रहा था।

मि. विल्डर का राजस्व प्रशासन :–

अजमेर पर ब्रिटिश अधिकार (1818) से पहले प्रतिवर्ष खालसा भूमि से वास्तविक राजस्व 115060 रूपये एकत्रित होता था मि. विल्डर, जो दिल्ली में रेजिडेन्ट के सहायक थे को अजमेर का पहला अधीक्षक बनाया गया। इन्होंने अपने प्रशासन के प्रथम वर्ष ही खालसा भूमि से अनुमानित उत्पादित उपज का 1/2 हिस्सा राजस्व लेने का निश्चय किया और इस वर्ष 159746 रूपये एकत्र किया गया मि. विल्डर लिखते है कि '' फसलों के एक समान विभाजन का माप उन सभी लाभों का उत्पादन है जिसकी हमने उम्मीद की थी। इस नई सरकार ने संयम और न्याय से लोगों में विश्वास हासिल कर लिया था। हालांकि आने वाले दो सालो तक इस बढे हुए राजस्व में और वृद्धि करना कतई उचित नहीं थां जो पहले से ही काफी बढा हुआ था फिर भी विल्डर को उम्मीद थी कि तीसरे वर्ष जमा (अनुमानित राजस्व) को बिना किसी दबाव के दोगुना किया जा सकता है फिर उसी अनुसार तीन वर्षो का एक प्रगतिशील बंदोबस्त का प्रस्ताव रखा जिसमें राजस्व प्रथम वर्ष में 179437 रूपये द्वितीय वर्ष 201691 रूपये एवं तीसरे वर्ष के लिए 249303 रूपये निर्धारित किया गया उनकी प्रमुख और एकमात्र चिंता किसी प्रकार से सरकारी राजस्व में वृद्धि करना थी।

मि. विल्डर ने राजस्व वृद्धि के उस सिद्धान्त के बारे में किसी को जानकारी नहीं दी जिस पर राजस्व की सरकारी मांग तय की गई थी न ही उस तीन वर्ष के प्रगतिशील बंदोबस्त के आकलन के बारे में जानकारी दी और सरकार ने भी कुछ हिचकिचाहट के साथ इस बंदोबस्त की पुष्टि कर दी जिन्होंने उस प्रमाणित नुकसान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ''यह उस प्रत्याशित सुधार पर तैयार किया गया बंदोबस्त है जो उद्योग की बढती भावना और पूंजी के संचय की जांच करता है।''

मि. विल्डर का यह बंदोबस्त दो खराब फसलों के कारण प्रथम वर्ष में ही टूट गया तब विल्डर ने शेष राशि को छोड़ने और 164700 रूपये प्रतिवर्ष निश्चित जमा राशि का प्रस्ताव रखा। सरकार द्वारा इन दोनों प्रस्तावों को स्वीकार करके यह बंदोबस्त अगले पांच सालो के लिए लागु कर दिया। पहले चार वर्षो तक बहुत अच्छा राजस्व एकत्रित हुआ लोग उधार लेकर भी अन्तिम वर्ष का राजस्व भुगतान करने के लिए बाध्य थे लेकिन पांचवे वर्ष अकाल पड़ गया फिर भी उपज का आधा हिस्सा राजस्व के तौर पर एकत्र किया गया जिसकी राशि 31920 रूपये थी।

अगला वर्ष फसलों के लिए अच्छा था लेकिन लोगों ने विल्डर के बंदोबस्त के अनुसार राजस्व चुकाने में आपति कर दी क्योंकि विल्डर का बंदोबस्त पांच वर्ष के लिए ही थां फिर भी सरकार द्वारा एक निराधार राजस्व एकत्र किया गया।

मि. विल्डर को अकाल वर्ष के मध्य में दिसम्बर 1824 में स्थानांतरित कर दिया था। इनका छः वर्ष का कार्यकाल कोई विशेष उपलब्धि या कोई महान परिणामों वाला नही था। उन्होंने जमीन के मूल्य, लोगों की स्थिति और सामग्री सुधार के लिए जो थोड़ी बहुत कोशिश की थी वह अभी पुरी नहीं हुई थी क्योंकि उनका प्रशासन हमेशा ज्यादा से ज्यादा राजस्व एकत्र करने के लिए लालायित रहता था उनके समय पुरे जिले के राजस्व एवं पुलिस स्थापना का खर्च मात्र 1374 रूपये था जो उनके स्वयं के वेतन (3000) के आधे से भी कम था।

मि. हनेरी मिडलटन का राजस्व प्रशासन :–

मि. मिडलटन जो की उतरी पश्चिमी नागरिक थे को दिसम्बर 1824 में मि. विल्डर की जगह अजमेर का अधीक्षक बनाया गया था। मि. मिडलटन का निजी विचार था कि राजस्व के लिए किसी भी प्रकार का निश्चित मौद्रिक आकलन लोगों में अप्रिय था अगर लोगों में ब्रिटिश

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 4, April 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

सरकार के प्रति पुनः विश्वास पैदा करना है तो अधिनस्थ अधिकारियों के लिए सबसे अच्छा तरीका लोगों से उपज के रूप में राजस्व इकट्ठा करना होगा।

हालांकि 1825–26 के अनुभवों के कारण मि. मिडलटन इस प्रणाली को अपनाने हेतु तैयार हुए थे। फिर इसी अनुसार मि. मिडलटन ने 1826 में एक पंचवर्षिय बंदोबस्त का प्रस्ताव रखा उन्होंने पिछले साल के राजस्व संग्रह पर भरोसा करते हुए मोटे तौर पर राजस्व संग्रह की नियमावली बनाई ।

मि. मिडलटन साहुकारों द्वारा की जाने वाली जबरन राजस्व वसूली और सामान्य लोगों की गरीबी के बारे में लिखते है कि ''ब्रिटिश शासन के शुरूआती वर्षो में खेती करने वाले कई लोग अजमेर जिले में आये लेकिन खराब फसल और उच्च दर पर लागू राजस्व मूल्यांकन के कारण यह लोग पुनः वापस चले गए थे। यहां के कुंए जीर्ण–शीर्ण हो गए थे और लोगों के पास इनकी मरम्मत करवाने के पैसे भी नहीं थे।'' मि. मिडलटन के बंदोबस्त के दौरान पांच सालों में इनके मरम्मत के लिए 144072 रूपये स्वीकृत किए गए थे। जो आकलन किया गया था उसके तहत केवल पहले वर्ष का ही राजस्व एकत्रित कर पाए थे यह बंदोबस्त आगे चलाये रखना कठिन था। क्योंकि अगले वर्ष का राजस्व एकत्रित करने के लिए मि. मिडलटन लम्बे समय तक अजमेर जिले के अधीक्षक के पद पर नहीं बने रहे और उनकी जगह अक्टूम्बर 1827 में मि. कैवेन्डिश को अधीक्षक का प्रभार दिया गया।

मि. कैवेन्डिश का राजस्व प्रशासन :–

मि. कैवेन्डिश एक महान सुधारक थे और उन्होंने प्रशासन के प्रत्येक पहलु पर अपनी छाप छोड़ी है इनके कार्यकाल के दौरान इस्तमरार, जागीर और भूम से संबंधित जो आंकड़े एकत्रित किए गए थे उसके लिए अजमेर जिला सदैव इनका ऋणी रहेगा। हालांकि जो भी थोड़ा बहुत कार्य हाथ में लिया उसको हमेशा पुरा किया था। मि. मिडलटन समझौते के तहत खालसा भूमि के लिए जो व्यवस्था थी उसको कैवेन्डिश ने हस्तक्षेप करके रोक दिया क्योंकि कैवेडिश का मानना था कि मि. मिडलटन का राजस्व आकलन कई कारणों से बहुत अधिक था क्योंकि मराठाओं ने केवल 87689 रूपये राजस्व एकत्रित किया था तथा उनके समय से ही खेती का क्षेत्र स्थिर रहा है। क्योंकि राजस्व दर उपज के आधे से अधिक थी अतः अजमेर की मिट्टी में काश्तकार जिसे बहुत अधिक खर्च और परेशानी का समाना करना पड़ता है वह उपज का आधा भाग राजस्व के तौर पर जमा करवाने में सक्षम नही था क्योंकि मिडलटन का मूल्यांकन मिट्टी की गुणवता या उत्पादकता पर आधारित न होकर उतार चढाव वाले मनमाने करो द्वारा एकत्रित किया जाता था। उनका मूल्यांकन भी मक्का की उपज के अनुकूल वर्ष के संग्रह के आधार पर बनाया गया था।

मि. कैवेन्डिश ने सहरानपुर मे मिडलटन के क्षेत्रों मे उन दरों को लागू किया जिसके लिए वो जाने जाते थे और उस क्षेत्र का मूल्यांकन करके गणना की कि राजस्व 144072 रूपये के बजाय 87645 रूपये होना चाहिए । अन्य कारणो के साथ–साथ मिडलटन के द्वारा किया गया जिले का अति मूल्यांकन ही वास्तविक कारण प्रतित होता है।

हालांकि 1818–19 का वर्ष अजमेर के लिए बहुत अच्छा था जबकि मेवाड़ और मारवाड़ क्षेत्र में अमीर खां पिण्डारी द्वारा की गई तबाही के कारण अनाज की मांग और किमते बहुत ज्यादा थी वास्तव में अजमेर जिले में नए नए नियुक्त ब्रिटिश राजस्व अधिकारियो का पहला आकलन मक्का की अनुमानित अधिक किमतों के कारण हमेशा के लिए टूट गया वह पुरानी किमतों को लेकर आकलन करते थे जो युद्ध की अराजकता के दौरान प्रचलित थी।

मि. कैवेन्डिस ने सरकार से यह अनुरोध किया कि अकाल या खराब मौसम के समय राजस्व के लिए लोगों पर दबाव नहीं डाला जाना चाहिए उन्होंने खराब मौसम के कारण व्यक्तिगत छुट हेतु सिफारिश की थी कैवेन्डिश का मानना था कि खराब मौसम या अन्य किसी कारण से राजस्व में एकमुश्त छुट देने से पीड़ित ग्रामीण को कोई फायदा नहीं होता है। बल्कि तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी और पटेल लाभांवित होते है क्योंकि वे ग्रामीणों से पुरा राजस्व इक्ठ्ठा करते है और छुट दी गई राजस्व राशि अपने पास रख लेते है। सामान्यः ग्रामीणों को इसके बारे मे जानकारी ही नहीं देते है।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 4, April 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

मि. कैवेन्डिश ने पहली बार पटवारी खातो की शुरूआत की ओर कई ऐसे गांवों के लिए भी नियुक्ति किया जहां कोई सरकारी नुमाईन्दा नहीं था साथ ही पटवारियों को ग्रामीण लोगों को राजस्व की रसीद देने को कहा गया हालांकि सरकार ने पूर्व निर्धारित बंदोबस्त मे संशोधन करने से मना कर दिया। कैवेन्डिश ने निर्देश दिया कि 1826 में मिडलटन के द्वारा लागू राजस्व बंदोबस्त की शेष अवधि के दौरान प्रत्येक गांव के संसाधनों के बारे में गहन जांच की जानी चाहिए हालांकि कैवेन्डिश के कार्यकाल के दौरान अजमेर के किसानों ने नियमित रूप से राजस्व में छुट के लिए आवेदन किए थे और कई बार राजस्व भुगतान अदा करने में आने वाली कठिनाइयों के कारण उन्हे छुट भी दी गई थी। कैवैन्डिश के समय मिडलटन का बंदोबस्त किसी भी वर्ष मे पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाया।

मि. कैवेन्डिश का मिडलटन के बंदोबस्त के समाप्ति वर्ष 1831 के अन्त में अजमेर जिले से स्थानान्तरण हो गया। कैवेन्डिश लिखते है कि उनका इरादा पटेलो के साथ राजस्व समझौता करने का था और प्रत्येक किसान को एक लिखित बयान देना होता था। अर्थात एक बन्धपत्र पर हस्ताक्षर करने होते थे जिसमे लिखा होता था कि इनमे लिखित राजस्व राशि को चुकाने के लिए वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है।

मेजर स्पीयर का राजस्व प्रशासन :–

कैवेन्डिश के बाद मेजर स्पीयर ने कैवेन्डिश के सिद्धान्तों के अनुरूप ही राजस्व एकत्रित किया स्पीयर महोदय ने कोई नया बंदोबस्त करने का प्रयास नहीं किया। 1833–34 में सरकार द्वारा छोड़े हुए राजस्व को पुनः प्रेषित किया और उन्होंने वह सबकुछ एकतत्र किया जो वो कर सकते थे। हालांकि अब बार–बार बंदोबस्त करने का यह ढोग बन्द कर दिया लेकिन 1833–34 के वर्ष का मौसम बहुत ज्यादा खराब होने के बावजूद सभी क्षेत्रों में नियमित रूप से खरीफ की फसल का राजस्व एकत्रित किया गया और लोगों को रबी की फसल का राजस्व रखने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा।

एडमोस्टोन का राजस्व प्रशासन :–

1833 के अन्त में स्पीयर की जगह एडमोस्टोन को अजमेर का प्रभार दिया गया। जिन्होंने अगले वर्ष सुखे के कारण जिले की बिगडती हुई स्थिति को देखते हुए एक संक्षिप्त बंदोबस्त किया जिसमे 119302 रूपये की राशि तय की गयी। यदि ग्रामीण किसान उनकी शर्तो पर सहमत नहीं होते तो खम के द्वारा उपज का आधा हिस्सा राजस्व के तौर पर एकत्र किया जाता था। 1835–36 में सर्दियों के मौसम में एडमोस्टोन ने राजस्व वसूली का एक नियमित बंदोबस्त किया जिसे बाद में सरकार द्वारा दस वर्षों के लिए स्वीकृत किया इसे आम तौर पर दसवर्षिय समझौता कहा जाता है। जिसकी आम सूचना 26 मई 1836 को दी गयी। एडमोस्टोन का मत था कि अजमेर जिला उन्नत अवस्था की बजाय पिछले प्रशासन के दौरान निम्न अवस्था में पहुंच गया था अतः उन्होंने जिले के मूल्यांकन के लिए स्वयं की एक विधि अपनाई जिसके तहत जिले के सम्पूर्ण गांवों को मापा गया और 36257 एकड़ क्षेत्र को खेती योग्य माना गया जिसमे से चाही भूमि (कुओं से सिंचित भूमि) 8989 एकड़, तालाबी भूमि (टैकों से सिंचित भूमि) 2180 एकड़ और बारानी भूमि (शुष्क भूमि) 25088 एकड़ थी।

फिर एडमोस्टोन ने केन्द्रिय बाजार में प्रचलित मुद्रा दरों पर नकद भुगतान करने वाले उत्पाद (मक्का और कपास) क्षेत्र का आकलन किया और अन्य फसलो की प्रति बीघा औसत उपज का अनुमान लगाया। पटेलो और महाजनो के जागीर को छोड़कर सरकार का आधा हिस्सा पिछले पांच सालो के प्रचलित औसत मूल्य से रूपये में परिवर्तित हो गया था। इस विधि से एडमोस्टोन ने 157151 रूपये की भारी भरकम जमाबन्दी प्राप्त की फिर एडमोस्टोन के प्रशासन द्वारा प्रत्येक गांव का अलग–अलग दौरा करके उनके द्वारा पूर्व में भुगतान किये गए राजस्व और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए प्रत्येक जागीर के भविष्य में राजस्व चुकाने की क्षमताओ को ध्यान में रखते हुए अपनी राजस्व मांग तय की। किसी भी छोटे गांव को राजस्व गांव को पट्टे पर नहीं दिया गया। बल्कि दो छोटे–छोटे गांवों को मिलाकर राजस्व के तौर पर उनसे उपज का आधा हिस्सा लिया गया। क्योंकि इन छोटे गांवों को सीधे ही अन्य बड़े गांव के स्तर तक नहीं

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 4, April 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

उठाया जा सकता था बाकि सभी ने एडमोस्टोन के बंदोबस्त की शर्तो को स्वीकार कर लिया अंततः सरकार द्वारा 127525 रूपये कि राशि वसूल की गई तथा खम गांव को जोड़कर यह राशि 129872 रूपये हो गयी। मि. एडमोस्टन ने अजमेर जिले की जनता को कामचलाउ, लापरवाह, गरीबी से पीड़ित और कर्ज के जाल मे डूबे लोगों के रूप में बताया है। उनके अनुसार यह सभी लोग बोहरा लोगो की शक्ति के अधिन थे। यह बोहरा लोग सामान्य गरीब लोगों को कर्ज का कोइ लेखा–जोखा नहीं देते थे अतः इन लोगों का कर्ज हमेशा पीढी दर पीढी चलता ही रहता था वह इस कर्ज से कभी उबर नहीं पाते थे।

मि. एडमोस्टन के समय इस उम्मीद के साथ प्रत्येक गांव के मुखिया के साथ समझौता किया की वह मुखिया सम्पूर्ण ग्रामीण समुदाय की इच्छा अनुसार कार्य करता है यह समझौता 3.9 रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से किया गया था। जबकि 69 प्रतिशत क्षेत्र असिंचित खेती का था। इस बंदोबस्त के विवरण में 5621 खेती करने वाले किसान 2675 बिना खेती करने वाले किसान 3185 हल व 1575 कुओं के बारे में बताया गया है।

हालांकि एडमोस्टन का प्रत्येक गांव का अलग–अलग आकलन निष्पक्ष और न्यायपूर्ण दिखाई देता है। लेकिन इस बंदोबस्त का सबसे बड़ा दोष यह है कि सभी गांवों की धारित राशि का वितरण अपूर्ण और असमान था। मि. एडमोस्टन ने ही प्रथम बार गांव में सभी काश्तकारों की राजस्व चुकाने की संयुक्त जिम्मेदारी के सिद्धान्त की शुरूआत की थी यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि एक किसान फसल के अनुकूल अच्छे वर्ष या बुरे वर्ष मे अपनी उपज का आधा हिस्सा राजस्व के रूप में देता है वह किसान अन्य लोगों के लिए कतई भुगतान नहीं कर सकता है जिन्होंने गांव में रहना और खेती करना छोड़ दिया है।

एडमोस्टन के बंदोबस्त के पहले ही साल में जोत के आधार पर किया राजस्व वितरण का तरीका काफी खराब साबित हुआ और अब लोग वास्तविक उपज से संग्रह किये जाने हेतु सरकार पर दबाव बनाने लगे। मि. एडमोस्टन का 1836 के अन्त में अजमेर से स्थानान्तरण हो गया और उनके बाद आने वाले अधिकारियों ने राजस्व का एक नया बंदोबस्त करने और प्रत्येक किसान को अलग–अलग पट्टो देने का प्रस्ताव रखा जिसमें यह स्पष्ट बताया गया था कि उस किसान को कितना राजस्व देना होगा। चूंकि यह सम्पूर्ण गांव को मौजवाड़ी व्यवस्था से रेयतवाड़ी व्यवस्था मे बदलने के समान था अतः सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया। परन्तु ग्रामीणों को पुनः पुराने प्रबंधन लौटने का विकल्प दिया गया तब 81 गांवों में से 41 गांवों ने इस व्यवस्था का स्वीकार कर लिया।

कर्नल सदरलैण्ड का राजस्व प्रशासन :–

कर्नल सदरलैण्ड जब अजमेर के कमिश्नर बने तब उन्होंने अजमेर की राजस्व व्यवस्था से संबंधित प्रत्येक चीज को समझने के लिए कड़ी मेहनत की थी जिसका नतीजा यह हुआ कि आज भी अजमेर की खालसा भूमि के प्रशासन और इस्तमरारदारो से संबंधित उनकी रिपोर्ट को एक मानक दस्तावेज माना जाता है।

कर्नल सदरलैण्ड ने अजमेर के लिए प्रचलित गांव के मूल्यांकन प्रणाली की घोर आलोचना की और इन्होंने इसका उपाय पुराने टैंको की मरम्मत और नये टैंको के निर्माण के तौर पर देखा था। कर्नल सदरलैण्ड ने मेरवाड़ा में कर्नल डिक्शन द्वारा लागू बंदोबस्त व्यवस्था को अपनाने की सिफारिश की थी इस व्यवस्था में कपास, मक्का, गन्ना और अफीम की फसल के तहत आने वाली भूमि पर एक जैसी मुद्रा दर लगाई गई थी साथ ही खरीफ और रबी की फसल का अनुमान लगाकर मापा गया और औसत उपज का एक–तिहाई हिस्सा प्रतिवर्ष सरकार के लिए राजस्व के तौर पर निश्चित किया गया।

नयी–नयी भूमि के लिए प्रथम वर्ष उपज का 1/6 हिस्सा, द्वितीय वर्ष 1/5 हिस्सा, तृतीय और चतुर्थ वर्ष 1/4 हिस्सा तत्पश्चात् उपज का 1/3 हिस्सा वसूल किया जाना था।

तटबन्ध बनाने और नए–नए कुंए खोदने वाले काश्तकारों को भी राजस्व में कुछ छुट दी गई थी सदरलैण्ड के अनुसार यह उपचारात्मक उपाय खेती योग्य क्षेत्र बढाने के लिए जरूरी थे।

सन् 1837 से 1841 के चार वर्ष गंभीर संकट के थे उसी दौरान कर्नल सदरलैण्ड की रिपोर्ट के समय जनवरी 1841 तक अजमेर के खालसा गांव गरीबी के सबसे निचले पायदान पर पहुंच चुके थे और कई

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 4, April 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

परिवार राजस्व के भारी दवाब के कारण जिला छोड़कर जा चुके थे। खालसा गांवो के लोग बुरी तरह से निराश थे। क्योंकि टैंक और कुंए मरम्मत के कारण टूट गए थे और लोग राजस्व का भुगतान करने में असमर्थ हो गए थे। लोगो ने एडमोस्टॉन के गलत मूल्यांकन को दरकिनार कर राजस्व के तौर पर उपज का आधा हिस्सा देना स्वीकार किया था लेकिन खराब वर्षो के कारण यह बंदोबस्त अब उनके गले की फांस बन चुका था इन दुष्परिणामों के लिए काफी हद तक पिछला बंदोबस्त जिम्मेदार था। पिछले बंदोबस्त के दौरान अजमेर में अन्तिम और उच्चतम राजस्व दर उतर–पश्चिमी प्रांतों की तुलना में लगभग दुगुनी थी इन बंदोबस्तों के अनुभवों के आधार पर सरकार को यह लगा कि यह समझौता बिना किसी परेशानी के उदारवादी साबित होगा लेकिन यह सब भ्रामक सिद्ध हुआ।

कर्नल डिक्शन का राजस्व प्रशासन :–

कर्नल डिक्शन के प्रशासन की मेरवाड़ा क्षेत्र की सफलताओं ने सरकार और आयुक्त का ध्यान आकर्षित किया तब फरवरी 1842 में कर्नल डिक्शन को मेरवाड़ा के अधीक्षक और मेरवाड़ा बटालियन के कमाण्डेट के साथ–साथ अजमेर का अधीक्षक भी बना दिया गया। कर्नल डिक्शन के अजमेर जिले के अधिक्षक के रूप में कार्यभार संभालने के साथ ही देश के प्रशासनिक इतिहास में एक नए युग की शुरूआत होती है। इसके साथ ही अगले छः सालो के अन्दर 445 तटबंधों के निर्माण और मरम्मत के लिए 452707 रूपये डिक्शन प्रशासन द्वारा खर्च किये गए। लोगो को कृर्षि सुधार हेतु अग्रीम धनराशि दी गई कर्नल डिक्शन ने सरकार को इन नए–नए कार्यों से लाभ प्राप्त करने में सफल बनाने के लिए उन गांवों को खम प्रंबंधन में लौटने की स्वीकृति दी जो अपने कार्यों को छोड़कर जा चुके थे।

जिन गांवों में कोई टैंक बनाया गया या पुराने टैंक की मरम्मत की गई उन गांवो पर राजस्व मूल्यांकन का एक प्रतिशत अतिरिक्त चार्ज लगाया गया था। उसी समय राजस्व संग्रह की दर को 1/2 से 2/5 कर दिया और नकद दरो में भी कटौती कर दी। दसवर्षिय बंदोबस्त की समाप्ति पर पुरे जिले में खाम का आयोजन किया और डिक्शन ने मेरवाड़ा की तरह अजमेर का भी अच्छी तरह से बंदोबस्त किया हालांकि यह प्रणाली पुरी तरह से एक व्यक्ति की उर्जा और अनुभव पर निर्भर थी और सामान्यतः सभी के अपनाने के लिए अनुपयुक्त थी गांवों का पुनः पुरानी बंदोबस्त प्रणाली में आना उस समय के हिसाब से उपयुक्त था क्योंकि लोगों ने अब अपनी संयुक्त जिम्मेदारी को पहचानना सीख लिया था। जो उन्हे भूमि और सिंचाई के साधनों द्वारा प्रधान की गई थी। इसलिए अब पहले की तुलना में उच्च और अधिक समान मूल्यों को सर्वेक्षण हेतु मेजर डिक्शन को एक ग्रामीण बंदोबस्त व्यवस्था बनाने हेतु निर्देश जारी किए गए कुछ परिवर्तन को शामिल करते हुए मि. एडमोस्टॉन के आकलन के बराबर एक निश्चित समय तक एक जमा राशि और टैंको और जलाशयो पर खर्च की गई राशि पर भी मध्यम लाभ प्राप्त करना लक्ष्य रखा गया बाद में परिवर्तन करते हुए इन मध्यम लाभों को पांच–छः प्रतिशत कर दिया गया एक समय तो ऐसा लगा की शायद ही यह बंदोबस्त लागू हो पायेगा अंततः एक वर्ष के अन्तराल के बाद 1849 मे खरीफ की फसल के अनुकूल वर्ष मे इस बंदोबस्त की शुरूआत की गयी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूचि –

1. राजस्थान डिस्ट्रीक्ट गजट अजमेर बी.एन. ढोढीयाल पेज न. 437–45
2. एनाल्स एण्ड एक्टीक्वीटीज ऑफ राजस्थान कर्नल टॉड वाल्यूम 1 पेज 170–72
3. लैण्ड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इण्डिया वॉल्यूम 2 पेज 329
4. एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुस्लिम इण्डिया 1929 डब्ल्यू एच. मॉरलैण्ड पेज 18–20
5. रिपॉर्ट ऑफ दी अजमेर मेरवाड़ा , इस्तमरारी एरिया इन्क्वायरी कमेटी 1933
6. अजमेर राजस्व रिकॉर्ड 1823–24
7. इम्पीरियल गजट ऑफ इण्डिया 1886
8. राजपूताना एजेन्सी रिकॉर्डस 1898 एस आई हिन्डेल पेज 307
9. सेटलमेन्ट ऑफ कर्नल डिक्सन पेज 450–51
10. गजट ऑफ अजमेर बाई जे.डी. लाटौचे 1879 पेज 718–21
11. गजेटियर ऑफ ईस्टर्न राजपूताना बाई मेजर ब्रोकमैन
12. अजमेर टेनेन्सी एण्ड लैण्ड रिफॉर्म एक्ट 1950
13. अजमेर हिस्टोरिकल एण्ड डिस्क्रेप्टिव एच.बी. शारदा
14. प्रोविन्सियल एडमिनिस्ट्रेशन डॉ. पी.सरणः पेज 316–19
15. अकबर नामा :– अबुल फजल
16. वाटसन गजेटियर 1904 पेज 97–105
17. मि. एडमॉसटन सेटलमेन्ट 1835
18. लैण्ड रेवेन्यू रेगुलेशन रूल्स 1893
19. रूल्स ऑल्ड टैंक अजमेर 1876